**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2605**

**16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

## गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को हटाना

**2605. श्री के. सी. वेणुगोपाल:**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने "अक्तूबर में वस्त्र और परिधान निर्यात में 12.91 प्रतिशत की गिरावट" और जूट, सूती धागे, कपड़े और तैयार उत्पादों में आई भारी कमी का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो निर्यात को स्थिर करने के लिए क्या तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि "संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रशुल्क के दबाव और भारी छूट आधारित निर्यात" भारतीय निर्यातकों, विशेषकर वस्त्र क्षेत्र के लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), की लाभप्रदता और स्थिरता को कितना प्रभावित कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वैश्विक मांग में कमी और प्रशुल्क संबंधी व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों के लिए ऋण सहायता और निर्यात प्रोत्साहन सहित लक्षित वित्तीय या नीतिगत सहायता आरम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या "विस्कोस स्टेपल फाइबर पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ)" को हटाने से आदान लागत में कमी आने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होने की उम्मीद है और एमएमएफ मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए और अधिक कदम उठाए जाने की क्या योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वस्त्र राज्य मंत्री**

**(श्री पबित्र मार्घेरिटा)**

**(क) से (ग):** मंत्रालय संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के अन्य देशों को भारत के हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल के निर्यात की निगरानी कर रहा है और वस्त्र क्षेत्र के सभी क्षेत्रों पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव की समीक्षा कर रहा है। भारत का हस्तशिल्प सहित, वस्त्र और अपैरल का निर्यात, अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान 20,401.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष (20,728.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की इसी अवधि की तुलना में 1.8% की मामूली कमी को दर्शाता है, फिर भी वैश्विक टैरिफ से संबंधित और अन्य बाहरी चुनौतियों के बावजूद निर्यात निष्पादन में समग्र स्टेबिलिटी का संकेत देता है। सभी वस्त्र क्षेत्रों में रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) के निर्यात के साथ-साथ फर्श कवर सहित जूट निर्माण ने अप्रैल-अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। तथापि, कपास तथा यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स सहित मानव-निर्मित फाइबर (एमएमएफ) उत्पादों जैसे मुख्य क्षेत्रों में और साथ ही कालीन क्षेत्र में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस अवधि के दौरान मामूली अवृद्धि (डी-ग्रोथ) दर्ज की गई है। (स्रोत-क्विक एस्टीमेट्स, वाणिजय विभाग)

2. अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान, भारत के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 100 से अधिक देशों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें यूएई, यू.के., जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, चीन, सऊदी अरब, मिस्र और जापान जैसे प्रमुख बाजार शामिल थे जो भारतीय वस्त्र उद्योग की अनुकूलता और विविधीकरण के प्रयासों को दर्शाता है। (स्रोत- डीजीसीआईएस).

3. सरकार भारतीय वस्त्र और अपैरल क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों को लागू कर रही है:-

(i) प्रमुख योजनाओं/पहलों में एक आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना बनाने के लिए पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक्स, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर फोकस करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर फोकस करने वाला राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; समर्थ - मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र के लिए संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम है। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी लागू कर रहा है।

(ii) वस्त्र क्षेत्र में अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के तहत आने वाले इनपुट के लिए अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि को छह (6) माह से बढ़ाकर अठारह (18) माह कर दिया गया है।

(iii) सरकार ने एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में प्रमुख संशोधन किए हैं ताकि उद्योग की चुनौतियों का समाधान किया जा सके, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाया जा सके तथा क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। संशोधन में पात्र उत्पादों का विस्तार, नई कंपनियों को स्थापना से छूट, निवेश की न्यूनतम सीमा में कमी और वृद्धिशील टर्नओवर मानदंड शामिल हैं। संशोधन का उद्देश्य प्रवेश बाधाओं और वित्तीय सीमाओं को कम करना है, जिससे तेजी से निष्पादन हो सके।

(iv) सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए इनपुट सामग्री लागत को कम करने, पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और समग्र उद्योग दक्षता को बढ़ाने के लिए दिनांक 31.12.2025 तक कपास पर एचएस 5201 के तहत आयात शुल्क में छूट दी है।

(v) सरकार ने संरचनात्मक विसंगतियों को दूर करने, लागत कम करने, मांग को बढ़ावा देने, निर्यात में सहायता करने और नौकरियों को बनाए रखने के लिए वस्त्र मूल्य श्रृंखला में जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाया है।

(vi) सरकार अपैरल/गारमेंट्स और मेड अप के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट की दो छूट योजनाओं और अन्य वस्त्र उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना (आरओडीटीईपी) का भी संचालन कर रही है।

(vii) भारत ने भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) सहित 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस पर 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे। इन एफटीए का उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भारतीय निर्यातकों को भागीदार बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए संरचनात्मक समस्याओं का समाधान करना है।

(viii) इसके अलावा, मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र निर्यात के लिए उच्च-संभावित वैश्विक गंतव्यों की पहचान करते हुए एक व्यापक 40-देश बाजार विविधीकरण रणनीति तैयार की है। निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग प्रतिनिधिमंडलों और विदेशों में भारतीय मिशनों के समन्वित प्रयासों द्वारा सहायता प्राप्त इन बाजारों में एक संरचनागत और लक्षित आउटरीच का उद्देश्य बाजार केंद्रीकरण के जोखिमों को कम करना, भारत की निर्यात हिस्सेदारी को बढ़ाना और भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए अधिक लचीली और सस्टेनेबल वैश्विक पहचान को स्थापित करना है।

(ix) सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी है जिसे वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वित्तीय संस्थानों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित अन्य प्रमुख स्टेकहोल्डरों के साथ सहयोगात्मक रूपरेखा पर आधारित किया गया है।

मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा:

(i) निर्यात प्रोत्साहन - इसका फोकस ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, कोलेटरल गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए क्रेडिट वृद्धि सहायता जैसे उपकरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार करना है।

(ii) निर्यात दिशा - गैर-वित्तीय कारकों पर फोकस करता है जो निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग के लिए सहायता, पैकेजिंग और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति और ट्रेड इंटेलिजेंस और क्षमता-निर्माण पहल सहित बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं।

(x) सरकार ने एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए निर्यातकों (सीजीएसई) हेतु क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और नए और उभरते बाजारों में विविधीकरण में सहायता करना है।

**(घ):** महत्वपूर्ण एमएमएफ कच्ची सामग्री पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को हटाना सरकार द्वारा घरेलू कीमतों को स्थिर करने और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसरों को एमएमएफ क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया एक सीधा सुविधाजनक उपाय है। इसके अलावा, प्रचालन दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, एमएमएफ मूल्य श्रृंखला में सामग्री और सेवा कर (जीएसटी) संरचना को एमएमएफ फाइबर और यार्न की जीएसटी दर को 5% तक कम करने के लिए युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एमएमएफ उत्पादों की समग्र लागत कम हो गई है। पीएलआई में हाल की पहलों का उद्देश्य प्रवेश बाधाओं और वित्तीय सीमाओं को कम करना है, जिससे तेजी से निष्पादन हो सके।

****